

विरोध प्रदर्शन का अधिकार और लोकतंत्र में सार्वजनिक स्थानों का महत्व



हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित स्थिति से हटाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय ने लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने के अधिकार पर बहस छेड़ दी है। संपादकीय के अनुसार, प्रदर्शन से यातायात और आम नागरिकों को असुविधा हो सकती है। लेकिन केवल इस आधार पर विरोध प्रदर्शनों को सत्ता के केंद्र से दूर करना उचित नहीं माना जा सकता।

- लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन उन नागरिकों और समूहों के लिए अपनी आवाज उठाने का माध्यम हैं, जिनकी निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी नहीं होती। इसलिए प्रदर्शन स्थलों की व्यवस्था करते समय सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिकों की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
विरोध का अधिकार तभी प्रभावी होता है, जब नागरिकों को अपनी बात सार्वजनिक रूप से और संबंधित सत्ता-केंद्रों तक पहुँचाने का वास्तविक अवसर मिले।
- **महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय:** मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को मौलिक अधिकारों से संबंधित माना, और प्रदर्शनकारियों तथा स्थानीय निवासियों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने पर बल दिया।
- **लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का महत्व**
 - a. **जनभागीदारी :** नागरिकों को शासन और नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त करने का अवसर मिलता है।
 - b. **सरकार की जवाबदेही :** सार्वजनिक विरोध प्रशासनिक निर्णयों पर पुनर्विचार का दबाव बना सकता है।

- c. **हाशिए के समूहों का प्रतिनिधित्व** : कमजोर वर्गों को अपनी समस्याएँ सार्वजनिक मंच पर रखने का अवसर मिलता है।
- d. **लोकतांत्रिक विमर्श** : शांतिपूर्ण असहमति विचारों की विविधता और संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत करती है।
- e. **सत्ता का विकेंद्रीकरण** : सत्ता के केंद्रों तक नागरिकों की पहुँच शासन को अधिक उत्तरदायी बनाने में सहायक होती है।

• **विरोध प्रदर्शन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ**

- i) यातायात जाम और आम नागरिकों की आवाजाही में बाधा हो सकती है।
- ii) सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और हिंसा की आशंका रहती है।
- iii) सुरक्षा व्यवस्था तथा पुलिस संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव आ सकता है।
- iv) प्रदर्शन स्थलों को दूर निर्धारित करने से नागरिकों की प्रभावी भागीदारी में कमी आ सकती है।
- v) प्रदर्शन की अनुमति देने में पारदर्शिता और प्रशासनिक विवेक के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है।

लोकतंत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकों को सरकार के निर्णयों से असहमति व्यक्त करने का अवसर भी शामिल है। हालांकि विरोध प्रदर्शन का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, लेकिन उसके नियमन के नाम पर उसे अप्रभावी बनाना भी उचित नहीं होगा।

'द हिंदू' में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 16/10/26